उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4
संख्या- 2/2020/1056/22-4-19-48(17)/19
लखनऊ : दिनांक- 01 जनवरी, 2020

शुद्धि पत्र

जिला कारागार, कासगंज, बलरामपुर, फिरोजाबाद, हमीरपुर, कानपुर देहात तथा कन्नौज के लिए ट्रेक्टर, हाईड्रोलिक ट्राली एवं कृषि उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-64/2019/853/22-4-2019-48(17)/19, दिनांक 04.11.2019 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित लेखाशीर्षक-"2056-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र" के स्थान पर "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय, 26-समस्त कारागार-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" पढ़ा जाय। शासनादेश दिनांक-04.11.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12/1994/दस/2019, दिनांक23 - दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-2/2020 /1056(1)/22-4-19-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in